



कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केंद्र, भोपाल

आवेदन का प्रकार : नवीनीकरण मान्यता

आवेदन नम्बर: 163463

मान्यता दिनांक - 27/03/2023

पति,

अध्यक्ष,

Kurwai Education Society

All Saints School

PHANDA URBAN, भोपाल, मध्यप्रदेश

हितः

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोगन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अंधान स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

प्रमोटर / प्रस्तोता,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 31/01/2023 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके - All Saints School स्कूल आर्डी -PS23459 विकासखंड-PHANDA URBAN को स्कूल का प्रकार प्राथमिक सह माध्यमिक, शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी कक्षा पहली से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2023 से 31/03/2026 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्ययन होगी :-

1. मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
2. स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. स्कूल, अपने पढ़ों की सीमा के वंचित सपूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस द्वारा मैं, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
5. सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
6. स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-

(क) आयु के सबूत के आभाव में;

(ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;

(ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।

7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -

(क) ग्रामपाल स्कूल में किसी प्रवेशित बालक को स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ख) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक, बालक को कक्षा 5 एवं 8 यों छोड़कर अन्य कक्षाओं में भाग रहित कक्षोन्तर प्रदान की जायेगी।

(ग) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक रूप से प्रत्यक्षित नहीं किया जाएगा;

(घ) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(ज.) अधिनियम के उपबंधों के अनुराग दिव्यांगविशेष आवश्यकता वाले बालकों को रामाहित किया जाएगा;

(ज) अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित योग्यता अनुसार शिक्षक ही कार्यात रहे जायें स्कूल में अधिनियम की धारा 19 एवं 25 में उल्लेखित मापदंडों के पूर्ति करते हुये मान्यता अवधि तक शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था बनाए रखी जायेगी।

(ज) शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उपके कर्तव्यों का पालन करना होगा;

(ज) प्रायवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेगें।

(ज) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सनियमों के अनुरूप अभिन्न सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।

PRINCIPAL  
ALL SAINTS SCHOOL  
GANDHI NAGAR BHOPAL (M.P.)  
MANAGER  
ALL SAINTS' SCHOOL  
GANDHI NAGAR BHOPAL (M.P.)

- (त्र) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रूपी में अधिकृति की जाए जो आयुक्त गव्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए। पश्चात्प्रदेश निजी विधातय विनियमन बोर्ड के नियमों के अनुसार ती फीस में बढ़ोतारी की जा सकती है।
8. स्कूल समुचित प्राप्तिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यग्रन्थों का अनुसारण करेगा।
  9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में बालकों का नामांकन करेगा।
  10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएं। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं।

स्वयं का भवन	स्कूल के भवन की स्थिति
87120	स्कूल परिसर का क्षेत्रफल
36584	कुल निर्धारित क्षेत्रफल
5100	खेत भैदान का क्षेत्रफल
20	कक्षाओं के कमरों की संख्या
3	प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय-सह-स्टोर कक्ष
हाँ	लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् प्रसाधन
हाँ	स्वच्छ पेयजल सुविधा
1	मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर
हाँ	बाधा रहित प्रवेश की सुविधा
हाँ	पठन-पाठन सामग्री
हाँ	खेत एवं खेलकूद उपकरण
हाँ	पुस्तकालय की उपलब्धता
10	शिक्षकों की संख्या

11. लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा जाएगी।
12. आपके स्कूल को आवृत्ति मान्यता कोड नम्बर 23459 है। इस कार्यालय के साथ कसी भी पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
13. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग/राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
14. यदि कोई शाला उसके छात्रों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वाहन हेतु सरकार द्वारा यथा विहित सुरक्षा सुनियमों का पालन हो रहा है। शाला को स्कूल बसों में महिला कंडक्टर की उपलब्धता के संबंध में समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
15. सोसायटी/न्यास, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
16. अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

Digitally signed by SEEMA GUPTA  
Date: 2023.03.27 18:06:52 +05:30  
Reason: RTE school recognition  
Location:

\* मान्यता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है, भौतिक हस्ताक्षर वी कोई आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केन्द्र

PRINCIPAL  
ALL SAINTS SCHOOL  
GANDHINAGAR (MP)

MANAGER  
ALL SAINTS SCHOOL  
GANDHINAGAR Bhopal (MP)